भारत सरकार
का
राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

मई, 2004

प्रस्तावना

भारत की जनता ने 14वीं लोकसभा के चुनावों में ऐसे धर्मनिरपेक्ष एवं प्रगतिशील शक्तियों को अपना निर्णायक मत दिया है जिनमें किसानों, कृषि श्रमिकों, बुनकरों, कामगारों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित दल तथा देश भर के आम आदमी के रोजमर्रा के हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रखने वाले दल शामिल हैं।

इस जनादेश को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस, इसके चुनाव पूर्व के सहयोगी दलों जिनमें आर.जे.डी., डी.एम.के. एन.सी.पी., पी.एम.के., टी.आर.एस., जे. एम.एम., एल.जे.पी. एम.डी.एम.के., ए.आई.एम.आई.एम, पी.डी.पी., आई.यू.एम.एल., आर.पी.आई. (ए), आर.पी.आई. (जी), तथा के.सी. (जे) शामिल हैं, ने मिलकर एक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया है। वाम दलों का समर्थन प्राप्त संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासन के लिए निम्नलिखित छः मूल सिद्धांत होंगे :-

- सामाजिक सद्भाव कायम करना, सुरक्षित रखना तथा उसे बढ़ावा देना, सामाजिक सौहार्द तथा शांति को भंग करने वाले रुढ़िवादी तथा कट्टरपंथी तत्वों से निपटने के लिए बिना भय अथवा पक्षपात के कानून लागू करना।

- यह सुनिश्चित करना कि एक दशक से भी अधिक समय तक सतत आधार पर कम से कम 7-8% प्रतिवर्ष की आर्थिक वृद्धि दर बनी रहे तथा इससे रोजगार के अवसर पैदा हों ताकि प्रत्येक परिवार को सुरक्षित तथा व्यवहार्य जीवन-यापन के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

- किसानों, कृषि श्रमिकों तथा कामगारों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के कल्याण तथा हित साधनों में बढ़ोतरी करना तथा हर तरह से उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित भविष्य आश्वस्त करना।

- महिलाओं का राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा कानूनी रूप से पूर्णतः सशक्तीकरण।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेषकर शिक्षा तथा रोजगार के मामले में अवसरों की पूर्ण समानता उपलब्ध कराना।

- हमारे उद्यमियों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा अन्य सभी व्यवसायियों तथा समाज की सृजनात्मक शक्तियों की रचनात्मक उर्जा को इस्तेमाल में लाना।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन देश की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त, पारदर्शी तथा हर कदम पर जिम्मेवार सरकार देने तथा एक ऐसा प्रशासन देने का वायदा करती है जो हर कदम पर जिम्मेवार और जवाबदेह हो।

रोजगार

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाएगी। यह अधिनियम कम से कम 100 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी देगा तथा शुरू में प्रतिवर्ष ऐसे परिसम्पत्ति-सृजक सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों का प्रावधान किया जाएगा जिसमें प्रत्येक ग्रामीण, शहरी गरीब तथा निम्न-मध्यम वर्ग के परिवार में कम से कम एक समर्थ व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी मिल सके। इसी दौरान, एक व्यापक काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी। इस आयोग को इन उद्यमियों को तकनीकी, विपणन तथा ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए समुचित सिफारिशें करने की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। इस प्रयोजन हेतु एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रशासन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की कार्य-प्रणाली में सुधार लाएगा तथा जूट, हथकरघा, बिजलीकरघा, वस्त्र परिधान, रबड़, काजू, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम उत्पादन, ऊन विकास, चमड़ा, कुम्हार उद्योग तथा अन्य कुटीर उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए नए कार्यक्रम चलाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पुष्प उत्पादन, वनीकरण, डेयरी उत्पादन तथा कृषि प्रसंस्करण के निरंतर विकास के लिए निवेश, ऋण तथा प्रौद्योगिकी को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करेगी जिससे रोजगार के पर्याप्त नए अवसर उत्पन्न होंगे।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार लघु उद्योग तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधाओं का व्यापक विस्तार करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगी कि सेवा उद्योग को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वह विकास और रोजगार के पूरे अवसर उपलब्ध करा सके। इनमें सॉफ्टवेयर तथा सूचना-प्रौद्योगिकी पर आधारित समस्त सेवाएं, व्यापार, वितरण, परिवहन, दूरसंचार, वित्त और पर्यटन शामिल हैं।

कपड़ा उद्योग को जनवरी, 2005 में अन्तर्राष्ट्रीय बहु-रेशा (मल्टी-फाइवर) करार के अंतर्गत कोटा समाप्त किए जाने से उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। जूट उद्योग के विश्व भर में तथा देश में विशेष पारिस्थितिकीय महत्व को देखते हुए इस उद्योग को हर तरह से नई गति प्रदान की जाएगी।

कृषि

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि अनुसंधान एवं विस्तार, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं तथा सिंचाई में सार्वजनिक निवेश को शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए। सिंचाई को निवेश में उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा सभी चालू परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाएगा।

ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को पुनः प्रभावी बनाया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीणों को दी जाने वाली ऋण राशि को अगले तीन वर्षों में दुगुना कर दिया जाए तथा छोटे और सीमांत किसानों को पर्याप्त मात्रा में संस्थागत ऋण प्रदान किया जाए। ग्रामीण ऋण की वितरण प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। कर्ज के बोझ तथा कृषि ऋणों पर उच्च ब्याज दरों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। फसल तथा पशुधन बीमा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार देश के शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में शुष्क भूमि पर खेती के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। जलसंभर तथा परती भूमि विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आरंभ किए जाएंगे। सिंचाई तथा पेयजल -- दोनों प्रयोजनों के लिए हर तरह से जल प्रबंधन पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रशासन कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। सभी कृषि कामगारों के लिए व्यापक सुरक्षा कानून बनाए जाएंगे। राजस्व प्रशासन का पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण किया जाएगा और भूमि के स्पष्ट स्वामित्व निर्धारित किए जाएंगे।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक, स्वायत्तशासी तथा व्यवसायी कार्य-संचालन सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाएगी।

किसानों की आय पर विपरीत प्रभाव डालने वाले नियंत्रणों को क्रमबद्ध ढंग से हटाया जाएगा। किसानों को सलाह एवं जानकारी देने वाले संगठनों में उनको अधिक भागीदारी प्रदान की जाएगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी किसानों को आयातों से, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी कमी के दौरान, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खरीद तथा विपणन के लिए जिम्मेवार सरकारी एजेंसियाँ गरीब तथा पिछड़े राज्यों एवं जिलों में किसानों की ओर विशेष ध्यान दें। देश भर में किसानों को वाजिब तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे। व्यापार की शर्तें कृषि के अनुकूल रखी जाएंगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि गन्ना किसानों सहित सभी किसानों की बकाया राशि का शीघ्रता से भुगतान कर दिया जाए।

शिक्षा, स्वास्थ्य

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार शिक्षा पर सरकारी व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 6 प्रतिशत तक करने का वायदा करती है जिसमें से कम से कम आधी धनराशि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर खर्च की जाएगी। यह कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा तक सभी की पहुंच होने संबंधी अपने वायदे को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु सभी केन्द्रीय करों पर उपकर लगाएगी। संसाधनों के आबंटन तथा कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

पिछले पाँच वर्षों में शिक्षा का जो सांप्रदायिकीकरण हुआ है, उसे रोकने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार तत्काल उपाय करेगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की सभी संस्थाएं अपनी स्वायत्तता बनाए रखें। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी को भी केवल इसलिए व्यावसायिक शिक्षा से महरूम न रहना पड़े क्योंकि वह गरीब है।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद आदि जैसी संस्थाओं में सभी नियुक्तियों का मानदण्ड केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता तथा व्यावसायिक दक्षता होगा। पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्कूली पाठ्यक्रमों का जो सांप्रदायिकीकरण हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों की एक पुनरीक्षण समिति गठित की जाएगी।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित एक "राष्ट्रीय मध्याह्न पौष्टिक पका-भोजन स्कीम" शुरू की जाएगी। गुणवत्ता की जाँच के लिए एक उपयुक्त तंत्र का गठन किया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का भी सार्वभौमिकीकरण करेगी और सभी बच्चों को इसमें शामिल करने के लिए हरेक बसावट में एक कार्यशील आंगनवाड़ी की व्यवस्था करेगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों का पूरी तरह समर्थन करेगी और उन्हें सहयोग देगी।

राष्ट्रीय केडिट कोर, एन.एस.एस., शारीरिक विकास, खेलकूद और समस्त छात्रों के सांस्कृतिक विकास के लिए स्कूलों में समुचित आधारभूत ढांचा सृजित किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी व्यय को अगले पाँच वर्षों में बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 से 3 प्रतिशत करेगी जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य पर खास जोर दिया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की एक राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सभी संक्रामक बीमारियों को रोकने वाले कार्यक्रमों में सरकारी निवेश को बढ़ाएगा तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के प्रयासों को नेतृत्व प्रदान करेगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार उचित कीमतों पर जीवन-रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सभी उपाय करेगी। स्वास्थ्य

देखभाल के मामले में समाज के निर्धनतम वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अधिक खपत वाली महत्वपूर्ण दवाओं के उत्पादन के लिए गठित सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को पुनर्जीवित करने की संभाव्यता की फिर से जांच की जाएगी ताकि दवाओं की कीमतों में कमी की जा सके और उन पर नियंत्रण रखा जा सके।

महिलाएं और बच्चे

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार महिलाओं के लिए विधान सभाओं और लोक सभा में एक-तिहाई आरक्षण हेतु कानून लाने में पहल करेगी। घरेलू हिंसा तथा स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव के विरूद्ध कानून बनाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायतों को प्राप्त होने वाली सभी निधियों का कम से कम एक तिहाई भाग महिलाओं तथा बच्चों के विकास के कार्यक्रमों के लिए रखा जाएगा। पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित सभी विकास स्कीमों की जिम्मेदारी लेने के लिए ग्रामीण महिलाओं तथा उनके संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण कानूनी समानता को एक व्यावहारिक सच्चाई बनाया जाएगा, विशेषकर भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करके तथा ऐसे नए कानून बनाकर जोकि महिलाओं को, उदाहरण के लिए मकान तथा भूमि जैसी परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व के समान अधिकार प्रदान कर सकें।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार विशेषकर देश के पिछड़े और पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों पर आधारित लघु वित्त योजनाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करेगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में कुछ दक्षिणी और अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त

सफलता को पूरे देश में दोहराया जाए। उच्च जन्म दर वाले लगभग 150 जिलों में एक सघन लक्षित जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह मानती है कि जो राज्य परिवार नियोजन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेगी, बाल श्रम का उन्मूलन करने का प्रयास करेगी, स्कूली शिक्षा हेतु सुविधाएं सुनिश्चित करेगी तथा बालिकाओं पर विशेष ध्यान देगी।

भोजन तथा पोषाहार सुरक्षा

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अगले तीन महीनों में भोजन तथा पौष्टिक आहार सुरक्षा के लिए एक व्यापक मध्यावधि नीति बनाएगा। इसका उद्देश्य आने वाले समय में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, यदि व्यवहार्य हुआ, सुनिश्चित करना होगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार विशेषकर देश के निर्धनतम तथा पिछड़े विकास खण्डों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करेगी तथा इसके प्रबंधन में महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी सोसायटियों का भी सहयोग लेगी। निर्धनतम तथा अशक्त व्यक्तियों तक अनाज पहुंचाने के लिए विशेष स्कीमें शुरू की जाएंगी। जिन क्षेत्रों में प्रायः खाद्यान्न की कमी रहती है, वहां खाद्यान्न बैंक स्थापित किए जाएंगे। जो परिवार भूखमरी के कगार पर हैं, उन सभी के लिए अन्त्योदय कार्ड शुरू किए जाएंगे।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार भारतीय खाद्य निगम की कार्य-प्रणाली में व्यापक सुधार लाएगी ताकि उन खामियों पर नियंत्रण पाया जा सके जिनके कारण खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ता है।

पोषाहार कार्यक्रमों को, विशेषकर बालिकाओं के लिए, बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा।

पंचायती राज

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायतों के माध्यम से गरीबी उपशमन तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को दी गई सभी निधियों में न तो कोई देरी हो और न ही उनका किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल हो। इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद निर्वाचित पंचायतों को ये निधियां सीधे उपलब्ध कराने पर विचार करेगी।

निधियों की सुपुर्दगी के समान ही कार्यों तथा कर्मचारियों को भी पंचायतों के सुपुर्द किया जाएगा। पंचायत निकायों के नियमित चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे तथा पांचवी और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के बारे में संशोधित अधिनियम को लागू किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभाओं को इस तरह से सशक्त बनाया जाए कि वे पंचायती राज के आधार के रूप में उभरकर आएं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार राज्यों से कानून बनाने का आग्रह करेगी ताकि जंगलों में काम करने वाले कमजोर वर्गों के सभी लोगों को तेंदुपत्ता सहित, लघु वन उपज संबंधी मालिकाना हक प्रदान किए जा सकें।

पदोन्नति सहित सारे आरक्षण कोटे समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। सभी आरक्षणों को कोडीकृत करने के लिए एक आरक्षण अधिनियम बनाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार दलितों तथा आदिवासियों के स्वामित्व वाली समस्त भूमि पर लघु सिंचाई के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी। भूमिहीन परिवारों को भूमि की अधिकतम सीमा तथा

भूमि पुनर्वितरण संबंधी कानून लागू करके जमीन प्रदान की जाएगी। भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून को उलटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रशासन आर्थिक प्रगति तथा पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों में सामंजस्य बैठाने के सभी प्रयास करेगा, विशेषकर उन मामलों में जहां पर आदिवासी समुदाय वनों पर निर्भर हैं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन विभिन्न राज्यों में बढ़ रही चरमपंथी हिंसा तथा अन्य प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से चिंतित है। यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि यह बहुत गहरा सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है जिसका अधिक सार्थक ढंग से समाधान किया जाएगा जो कि अब तक नहीं हो पाया है। फर्जी मुठभेड़ों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु समग्र रणनीति तथा कार्यक्रमों की तत्काल पुनरीक्षा करेगी जिससे इनमें खामियों को दूर किया जा सके और जीविकोपार्जन संबंधी अधिक व्यवहार्य रणनीतियां बनाई जा सकें। इसके अलावा, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित आदिवासियों तथा अन्य समूहों के लिए राहत और पुनर्वास की अधिक कारगर व्यवस्था की जाएगी। जिन आदिवासियों को जमीन छोड़नी पड़ी है, उनका पुनर्वास किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार निजी क्षेत्रों में, आरक्षण सहित सकारात्मक पहल संबंधी मुद्दे के बारे में बहुत संवेदनशील है। सरकार सभी राजनीतिक दलों, उद्योग जगत तथा अन्य संगठनों के साथ यह पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करेगी कि निजी क्षेत्र किस स्तर तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।

आदिवासी समुदायों तथा अन्य वनवासी समुदायों का वन्य क्षेत्रों से निष्कासन बंद किया जाएगा। वनों की सुरक्षा तथा सामाजिक वनीकरण शुरू करने के लिए इन समुदायों का सहयोग लिया जाएगा। खनिज

संसाधनों तथा जल संसाधनों आदि पर इन आदिवासी समुदायों के कानून द्वारा निर्धारित अधिकारों की पूरी तरह सुरक्षा की जाएगी।

सामाजिक सौहार्द, अल्पसंख्यकों का कल्याण

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1992 के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या मामले पर यह न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा, साथ ही साथ इस विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिसे बाद में कानूनी स्वीकृति मिल जाएगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक आदर्श व्यापक कानून बनाएगी तथा हर राज्य को उस कानून को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि अल्पसंख्यक समुदायों में आस्था और विश्वास पैदा किया जा सके।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के लिए आयोग स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन करेगी जो कि अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थाओं को केंद्रीय विश्वविद्यालयों से सीधे संबद्ध करेगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सभी अल्पसंख्यक समुदायों में आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और उनके रोजगार पर अधिक व्यवस्थित ढंग से ध्यान देकर उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण करना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का प्राथमिक सरोकार होगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यह देखने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करेगा कि धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है तथा शिक्षा और रोजगार में उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। आयोग छः महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम को उसकी कार्य-प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएंगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रश्न पर विचार करेगी और संविधान के अनुच्छेद 345 एवं 347 के तहत ऊर्दू भाषा को मान्यता एवं बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करेगी।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद को पुनर्गठित और पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि इसके मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

बुनियादी ढांचा

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों, बिजली, रेलों, जलापूर्ति, जल-मल व्ययन और स्वच्छता जैसे भौतिक आधारभूत ढांचे के विकास और विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के साथ-साथ सरकारी निवेश को बढ़ाया जाएगा। सब्सिडी को सुस्पष्ट किया जाएगा और उन्हें बजट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

कई राज्यों द्वारा जताई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की समीक्षा की जाएगी। राज्य बिजली बोर्डों को पृथक करने एवं बदले जाने के लिए निर्धारित 10 जून, 2004 की अनिवार्य तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बिजली उत्पादन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, बिजली वितरण में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है।

रेलवे हमारे आधारभूत ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके आधुनिकीकरण, रेल की पटरियों के नवीकरण तथा सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। रेलवे में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार शहरी विकास और कस्बों एवं शहरों में सामाजिक आवासों के व्यापक विस्तार के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के लिए आवासों में बड़े पैमाने पर वृद्धि की जाएगी। मलिन बस्तियों को जबर्दस्ती खाली करवाने एवं उन्हें तोड़ने के कार्य को रोका जाएगा। शहरी नवीकरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शहरी एवं अर्ध-शहरी गरीब लोगों को उनके कार्य-स्थल के पास ही आवास प्रदान किए जाएं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि एवं उसके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देगी जिसमें सड़कों, सिंचाई, विद्युतीकरण, शीत-भंडारण और विपणन स्थलों को शामिल किया जाएगा। मौजूदा सभी सिंचाई परियोजनाओं को तीन से चार वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। घरेलू विद्युतीकरण को पाँच वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

जल संसाधन

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार देश में नदियों को जोड़ने की संभावना का एक विस्तृत आकलन करेगी जिसकी शुरूआत दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों से की जाएगी। यह आकलन पूरी तरह से विचार-विमर्श करके किया जाएगा। यह बिहार जैसे राज्यों में नदियों की उप-घाटियों को जोड़ने की संभावनाओं की भी तलाश करेगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि नदियों एवं जल-बंटवारे से संबंधित लम्बे समय से चले आ रहे अन्तर्राज्यीय विवादों, जैसे कावेरी जल विवाद, को जल्दी से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाए जिसमें विवाद से संबंधित सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

शहरों में विशेषकर दक्षिण राज्यों में पेयजल की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए चेन्नई से लेकर पूरे कोरोमंडल तट के साथ-साथ

विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में आवास संबंधी विशेष समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों को पेयजल उपलब्ध कराना और पेयजल स्रोतों की उपलब्धता को बढ़ाना सर्वाधिक प्राथमिकता का मुद्दा है। वर्षा-जल का संचय, मौजूदा तालाबों की सफाई और अन्य नई-नई प्रणालियों को अपनाया जाएगा।

क्षेत्रीय विकास, केन्द्र-राज्य संबंध

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार वित्तीय, प्रशासनिक, निवेश और अन्य माध्यमों से राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर बढ़ रहे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह चिंता की बात है कि क्षेत्रीय असंतुलन न केवल ऐतिहासिक उपेक्षा बल्कि योजना आबंटनों और केन्द्र सरकार की सहायता में विसंगतियों के कारण भी बढ़ा है। यहां तक कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जो प्रति-व्यक्ति आबंटन मिला है, वह राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पिछड़े राज्यों के लिए एक अनुदान कोष बनाने पर विचार करेगी जिसका इस्तेमाल इन राज्यों में उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए अग्रणी उपाय करेगी।

राज्यों पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए शीघ्र ही एक सुस्पष्ट एवं पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि वे सामाजिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में सक्षम हो सकें। राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दरों को कम किया जाएगा और करों के एकल तथा विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को बढ़ाया जाएगा।

केंद्र सरकार से सभी असांविधिक संसाधनों का अंतरण करते समय निर्धन और पिछड़े राज्यों को महत्व दिया जाएगा, परंतु साथ ही निष्पादन के मानदंड भी ध्यान में रखे जाएंगे। देश के निर्धनतम और अत्यन्त पिछड़े

जिलों में सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करेगी जिससे भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे स्थानों में जहाँ क्रेडिट-डिपोजिट का अनुपात अत्यन्त कम है, पर्याप्त सुधार हो सके।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार राज्यों को खनिजों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करने के मुद्दे की समीक्षा करेगी।

पिछली सरकारें समय-समय पर विशेष आर्थिक पैकेजों की घोषणा करती रही हैं जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार और जम्मू कश्मीर के लिए। बिहार के लिए श्री राजीव गांधी ने 1989 में एक विशेष विकास पैकेज की घोषणा की थी और बाद में 1999 में उसके विभाजन के समय दूसरे पैकेज की भी घोषणा की गई थी ताकि राजस्व की हानि को पूरा किया जा सके। इन पैकेजों को तेजी से लागू किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद को सहकारी संघवाद का एक अधिक प्रभावी माध्यम बनाएगी। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम दो बार होगी और वह भी अलग-अलग राज्यों में। अभी राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों की वित्तीय स्थिति के मुद्दे को उठाएगी और इस संबंध में किए जाने वाले विशेष उपायों पर राष्ट्रीय आम-सहमति बनाएगी। अंतर्राज्ययीय परिषद को भी सक्रिय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्राथमिकता के विषयों जैसे परिवार नियोजन को छोड़कर केंद्र द्वारा प्रायोजित अन्य सभी योजनाएँ राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार समुचित विचार-विमर्श तथा आम सहमति के बाद उचित समय पर तेलंगाना राज्य के सृजन की मांग पर विचार करेगी।

सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों के मुद्दे पर दो दशक से भी अधिक समय पहले विचार किया था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

भारत की राज्यव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में तब से हुए भारी परिवर्तनों को देखते हुए इस प्रयोजन के लिए नया आयोग गठित करेगी।

कुछ राज्यों में राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं, जो काफी समय से लंबित पड़ी हैं, को तेजी से पूरा किया जाएगा। इनमें सेतु समुथुइरम परियोजना, उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी (जिसके लिए नेपाल से भी सहयोग आवश्यक है) तथा पश्चिम बंगाल में भगीरिथी में बाढ़ नियंत्रण तथा पद्मा-गंगा के कटाव की रोकथाम शामिल हैं। बाढ़ संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा और केंद्र सरकार अन्तरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदियों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी। सूखा संभावित क्षेत्र विकास की सभी मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और एक ही व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार संविधान के अनुच्छेद 370, जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ है, का अक्षरशः पालन करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार के परामर्श से जम्मू-कश्मीर में सभी समूहों और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के साथ सतत आधार पर वार्ता जारी रखी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 'हीलिंग टच' नीति को पूरा समर्थन दिया जाएगा और उसके लिए आर्थिक और मानवीय पहलू पर बल दिया जाएगा। राज्य को अपनी आधारभूत सुविधाएँ तेजी से पुनर्निर्मित करने के लिए हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। बिजली, पर्यटन, हथकरघा व रेशम उत्पादन जैसे क्षेत्रों में निवेश लाने के लिए नये प्रयास किए जाएंगे।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद और विद्रोह से, तात्कालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता के मुद्दे के रूप में, निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों को आधारभूत सुविधाओं को उन्नत व विस्तृत बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। पूर्वोत्तर परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा और उन्हें पर्याप्त व्यावसायिक सहायता दी जाएगी। मौजूदा राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाएगा।

प्रशासनिक सुधार

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन लोक प्रशासन प्रणाली में सुधार लाने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा (ब्लू-प्रिंट) तैयार करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करेगा। ई-गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जायेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिक प्रगतिशील, भागीदारीपूर्ण और सार्थक बनाया जाएगा। लोकपाल बिल पारित कर कानून बनाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार उच्च न्यायालयों और न्यायपालिका के निचले स्तरों पर होने वाले विलंब में अत्यधिक कमी लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएगी। विधिक सहायता सेवाओं में वृद्धि की जाएगी। न्यायिक सुधारों को नई गति प्रदान की जाएगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन चुनाव सुधारों के प्रति अपनी वचनबद्धता के रूप में, चुनावों के लिए सरकारी धन मुहैया कराने की दिशा में शीघ्र कदम उठाएगा।

उद्योग

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ नियंत्रण मुक्त करते हुए अनेक नीतियों के माध्यम से इसे मजबूती प्रदान करेगा। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन शुरू किए जाएंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा और विशेष रूप से इसे बुनियादी ढांचे, उच्च-प्रौद्योगिकी और निर्यात एवं ऐसे क्षेत्रों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा जहाँ स्थानीय परिसम्पत्तियों एवं रोजगार का सृजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। देश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जरूरत है और यहाँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मौजूदा स्तर का दो से तीन गुना अधिक निवेश आसानी से खप सकता है। भारतीय उद्योग को उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हर तरह की सहायता दी जाएगी। सभी नियामक संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिस्पर्धा

स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इन संस्थाओं को व्यावसायिक तौर पर चलाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार नीतिगत विचार-विमर्श हेतु सतत मंच उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद का गठन करेगी ताकि खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और वस्त्र, इंजीनियरी, उपभोक्ता सामान, फार्मास्यूटिकल, पूंजीगत सामान, चमड़ा और आई.टी. हार्डवेयर जैसे विनिर्माण उद्योग के विकास को गति प्रदान की जा सके और उसे बनाए रखा जा सके।

घरेलू और दस्तकारी उद्योगों को अधिकाधिक प्रौद्योगिकी, निवेश और विपणन की मदद दी जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में, सबसे अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले लघु उद्योग क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए शीघ्र ही एक बड़े प्रोमोशनल पैकेज की घोषणा की जाएगी। इसे इंस्पेक्टर राज से मुक्त किया जाएगा और इसे ऋण, प्रौद्योगिकीय और विपणन की पूरी सहायता दी जाएगी। बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का विस्तार किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण प्रबंधकीय स्वायत्तता दी जाएगी। ब्याज की दरें ऐसे तय की जाएंगी जिससे निवेशकों और बचतकर्त्ताओं, दोनों को ही और विशेषकर पेंशनरों एवं वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) के बारे में ईपीएफ बोर्ड से परामर्श एवं अनुमोदन प्राप्त किए बिना निर्णय नहीं लेगी। मुख्यतः शहरी सहकारी बैंकों और सामान्यतः बैंकों के विनियमों को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। एल.आई.सी. और जी.आई.सी. सार्वजनिक क्षेत्र में ही बने रहेंगे और अपनी सामाजिक भूमिका निभाते रहेंगे। इसके अलावा, नियामक निकायों द्वारा प्राइवेट बैंकों और प्राइवेट बीमा कंपनियों पर लगाए गए सामाजिक दायित्वों को मॉनीटर किया जाएगा तथा सख्ती से लागू किया जाएगा।

श्रम

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सभी कामगारों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जो हमारे कुल कार्यबल का 93% है, के कल्याण और भलाई के लिए वचनबद्ध है। बुनकरों, हथकरघा कामगारों, मछुआरों, ताड़ी निकालने वाले लोगों (Toddy Tappers), चमड़े का काम करने वाले लोगों, वनरोपण मजदूरों, बीड़ी कामगारों आदि जैसे कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्कीमों का विस्तार किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन "ऑटोमेटिक हायर एण्ड फायर" के विचार को अस्वीकार करता है। इसका मानना है कि श्रम कानूनों में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है लेकिन ऐसे परिवर्तनों से कामगारों और उनके परिवारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। ये परिवर्तन ट्रेड यूनियनों के साथ पूरा विचार-विमर्श के बाद ही किए जाने चाहिए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इस मामले पर कोई विशेष प्रस्ताव लाने से पहले उद्योग जगत एवं ट्रेड यूनियनों से विचार-विमर्श करेगा। परन्तु, औद्योगिक विवाद अधिनियम को छोड़कर, अन्य श्रम कानूनों जो इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देते हैं, की पुनः जांच की जाएगी और संबंधित कार्यविधियों को सुव्यवस्थित तथा कारगर बनाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश में श्रमिक-प्रबंधक संबंध परामर्श, सहयोग और आम सहमति पर आधारित होने चाहिए न कि टकराव पर। ट्रेड यूनियनों और उद्योग जगत के साथ उनसे संबंधित सभी प्रस्तावों पर त्रिपक्षीय परामर्श का सक्रियता से पालन किया जाएगा। श्रमिकों को मिलने वाले अधिकार और सुविधाएं, जिनमें कानून के अनुसार हड़ताल करने का अधिकार भी शामिल है, छीनी नहीं जाएंगी अथवा उनमें कटौती नहीं की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार एक ऐसे सुदृढ़ और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध है जिसके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति इसके वाणिज्यिक कार्यों से की जाती है। लेकिन इसके लिए उपयुक्त चयन एवं कार्यनीति पर अधिक बल देने की जरूरत है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करने वाली सफल तथा लाभ कमाने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सामान्यतः, लाभ कमाने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

निजीकरण पर प्रत्येक मामले के आधार पर पारदर्शी एवं परामर्शी ढंग से विचार किया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मौजूदा "नवरत्न" कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखेगा जबकि ये कंपनियाँ पूंजी बाजार से संसाधन जुटातीं रहेंगी। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कंपनियों का आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन करने और रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, किंतु लम्बे समय से घाटे में चल रही कंपनियों को या तो बेच दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सभी कामगारों को उनकी विधि-सम्मत देय राशि और मुआवजा दिया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन उन कंपनियों को लाभप्रद बनाने के लिए निजी उद्योग को प्रेरित करेगा जिनमें पुनर्जीवित होने की क्षमता है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का मानना है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए न कि इसमें कमी आए। यह ऐसे किसी एकाधिकार का समर्थन नहीं करेगी जिससे केवल प्रतिस्पर्धा पर ही रोक लगती हो। इसका यह भी मानना है कि निजीकरण और सामाजिक जरूरतों के बीच सीधा सम्पर्क होना चाहिए, उदाहरण के लिए निजीकरण से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र की निर्धारित योजनाओं के लिए होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि संसाधन जुटाए जा

सकें और छोटे निवेशकों को निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

राजकोषीय नीति

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार वर्ष 2009 तक केन्द्र के राजस्व घाटे को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सामाजिक और भौतिक ढांचे में निवेश के लिए अधिक-से-अधिक संसाधन रिलीज किए जा सकें। सभी राज-सहायता(सब्सिडी) गरीबों और वास्तव में जरूरतमंदों जैसे लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि मजदूरों तथा शहरी गरीबों के लिए ही होगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक विस्तृत योजना 90 दिनों के अन्दर संसद में प्रस्तुत की जाएगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार निवेश और विकास परिव्ययों में कमी या कटौती करके घाटे को कम करने का प्रयास नहीं करेगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सभी आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों, जिनमें विशेषकर सेवा क्षेत्र कराधान का एकीकरण करने तथा राज्यों को मुआवजा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं, को पूरा करने के बाद मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली(वेट) को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। यह सरकार कर तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि करने के लिए उपाय करेगी। इसके लिए ऐसे व्यापक कर सुधार किए जाएंगे जिनसे कर दाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो, कर अनुपालन में वृद्धि हो और कर प्रशासन में और अधिक दक्षता आए। कर की दरें स्थिर रहेंगी तथा विकास, अनुपालन और निवेश के अनुकूल होंगी। काले धन और परिसम्पत्तियों को उजागर करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी और ठोस उपाय करेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सट्टेबाजों, जमाखोरों तथा काला-बाजारियों से निपटने के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, उन्हें किसी भी तरह निष्क्रिय नहीं होने दिया जाएगा।

पूंजी बाजार

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार कर और अन्य नीतियों के जरिए व्यवस्थित विकास तथा पूंजी बाजार के संचालन, जिनसे अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर प्रस्तुत होती है, के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। वित्तीय बाजार को और मजबूत किया जाएगा। एफ.आई.आई. को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा जबकि वित्तीय प्रणाली में सट्टा पूंजी के बहाव को कम किया जाएगा। दोहरे कराधान समझौतों के दुरूपयोग को रोका जाएगा। छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी तथा उन्हें अपनी बचत के सुरक्षित निवेश के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। **सेबी** को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। बाजार को प्रभावित करने वाले तथा बाजार में जानबूझकर घबराहट फैलाने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आर्थिक सुधार

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मानवीय आधार पर आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी स्थायी प्रतिबद्धता को दोहराता है ताकि विकास, निवेश तथा रोजगार को बढ़ावा मिले। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में सुधारों की और जरूरत है और इन्हें इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के आर्थिक सुधार कार्यक्रम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाने, सार्वजनिक प्रणालियों की गुणवत्ता तथा सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से सुधार करने और देश के आम नागरिकों के जीवन-स्तर में स्पष्ट और वास्तविक सुधार लाने पर लक्षित होंगे।

रक्षा, आंतरिक सुरक्षा

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में जो भी विलंब हो, उन्हें दूर किया जाए और आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित समस्त धनराशि का शीघ्र ही पूर्ण रूप से उपयोग हो जाए।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन रक्षा मंत्रालय में एक नये भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना करेगा। एक-रैंक, एक-पेंशन के काफी समय से लंबित पड़े मुद्दे की फिर से जांच की जाएगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को एक व्यावसायिक और प्रभावी संस्था बनाएगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार एक विश्वसनीय परमाणु अस्त्र कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही साथ, यह अपने परमाणु अस्त्र-सम्पन्न पड़ौसी देशों के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने के स्पष्ट तथा प्रामाणिक उपाय भी करेगी। यह सरकार विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने तथा विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए कार्य करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी।

पिछले दो वर्षों में पोटा का जिस तरीके से अत्यधिक दुरुपयोग किया गया है, उससे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन चिंतित रहा है। आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किंतु पोटा का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ है, उसे देखते हुए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इसे रद्द करेगी जबकि मौजूदा कानूनों को सख्ती से अमल में लाया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार उन सभी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ बिना किसी भय और पक्षपात के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी जो सामाजिक मनमुटाव फैलाते हैं, सामाजिक सौहार्द में कड़वाहट पैदा करते हैं, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक घृणा फैलाते हैं। देश के कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार भारत के व्यापक विज्ञान और प्रौद्योगिकी ढांचे को सुदृढ़ करने वाली नीतियों का अनुकरण करेगी तथा साथ ही साथ, इसके लिए कार्यक्रम भी शुरू करेगी। प्रमुख क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग मिशन शुरू किए जाएंगे जिसमें वैश्विक नेतृत्व तथा स्थानीय बदलाव दोनों को शामिल किया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार देश में संस्थागत विकास तथा अन्य परियोजनाओं के लिए विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों तथा अन्य व्यावसायिकों की दक्षता और विशेषज्ञता को उपयोग में लाएगी।

ऊर्जा सुरक्षा

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, विशेषकर तेल क्षेत्र, के लिए तत्काल नीतियां बनाएगी। हाइड्रोकार्बन उद्योग में विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। सतत विकास से जुड़ी समेकित ऊर्जा नीति तैयार की जाएगी।

विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संगठन

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार अपनी पिछली परंपराओं को ध्यान में रखकर एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगी। इस नीति में विश्व संबंधों में बहुध्रुवता को बढ़ावा दिया जाएगा तथा एकपक्षीयवाद के सभी प्रयासों का विरोध किया जाएगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक व अन्य संबंधों को और बेहतर बनाने तथा **सार्क** को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। जल संसाधन, विद्युत और पारिस्थितिकी संरक्षण के क्षेत्र में क्षेत्रीय परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत को व्यवस्थित ढंग से और सतत् आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। संयुक्त

प्रगतिशील गठबंधन श्रीलंका में ऐसी शांति वार्ताओं का समर्थन करेगा जो श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता और एकता को बरकरार रखते हुए तमिलों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की न्यायसंगत आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। बंगला देश के साथ बकाया मुद्दों को हल किया जाएगा। नेपाल के साथ आपसी हित के आधार पर जल संसाधनों के विकास के लिए गहन बातचीत शुरू की जाएगी।

चीन के साथ व्यापार तथा निवेश का और विस्तार किया जाएगा एवं सीमा संबंधी मुद्दे पर वार्ता को गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। पश्चिम एशिया के साथ पारंपरिक संबंधों को नया आयाम प्रदान किया जाएगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार भारत की दशकों पुरानी इस वचनबद्धता को दोहराती है कि फिलीस्तीनियों का उनका अपना होमलैंड हो। इराक से भारतीय मर्सिनरियों को वापस बुलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा इस प्रयोजन के लिए आगे की भर्ती पर रोक लगायी जाएगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार अमेरिका के साथ घनिष्ठ संपर्क एवं संबंधों को आगे बढ़ाते हुए सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में भारत की विदेश नीति पर अपनी स्थिति को स्वतंत्र बनाए रखेगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन रूस और यूरोप के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वर्गीय श्री मुरासोली मारन द्वारा दोहा में अपनाए गए रूख को देखते हुए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की सभी चर्चाओं में राष्ट्रीय हितों की, विशेषकर किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी। पूर्व की वचनबद्धताओं का पालन किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जाएंगे कि सभी करारों में हमारे हित पूर्णतः परिलक्षित हों, विशेषकर बौद्धिक संपदा तथा कृषि के क्षेत्र में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार विश्व व्यापार संगठन के मौजूदा करारों में दी गई छूट का इस्तेमाल करेगी ताकि भारतीय कृषि और उद्योग क्षेत्र को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा एके। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार विश्व व्यापार संगठन में **जी-20** के रूप में विकासशील

देशों की उभरती हुई एकता को मजबूती प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाएगी।

राजभाषा

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में सभी भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में घोषित करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। इसके अलावा, तमिल भाषा को एक "क्लासिकल लैंग्वेज" घोषित किया जाएगा।

समापन संदेश

यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। यह किसी भी प्रकार से बृहद कार्यसूची (एजेंडा) नहीं है। यह प्रारंभिक बिंदु है जो मुख्य प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों को रेखांकित करता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम एक अन्य सामूहिक अधिकतम निष्पादन के लिए एक आधार है।